न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—167/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00167)

1. श्री जगदीश पुत्र श्री बरदा साकिन ग्राम उगान खेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

1. मु. बरजी बेवा श्री बरदा साकिन ग्राम उगानखेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

प्रतिवादी /रेस्पोडेन्टस

2. हगमा पुत्री श्री बरदा
3. सोहन पुत्री श्री बरदा
4. प्रेम पुत्री श्री बरदा

वादी/ रेस्पोडेंटस

5. प्रेम पुत्री मकना जाति बैरवा
6. समता पुत्री प्रेम जाति बैरवा
   साकिन ग्राम कानपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर
7. पटवारी पटवार हल्का उगाई तहसील केकड़ी, जिला अजमेर
8. तहसीलदार तहसील केकड़ी, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी राजस्व वाद संख्या 10/2013

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र सेठी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री ज्योतिका शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 .
3. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5, 6.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7, 8.
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, द्वारा प्रकरण संख्या 10/2013 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेटस संख्या 2,3,4 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तहत अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध पेश किया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। वाद के विचाराधीन रहते हुए रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने एक सहमति विभाजन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त सहमति विभाजन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा दिनांक 15.03.2016 को डिक्री कर प्रत्येक खातेदार का 1/6, 1/6 हिस्सानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय/डिक्री दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट 2से 4 के अभिभाषक बरवक्त आवाजें दिलाये जाने पर उपस्थित नहीं हुए तथा ना ही लिखित बहस प्रस्तुत की है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन के आधार पर दावा निर्णित करने में भारी भूल की यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि उक्त सहमति विभाजन पत्र पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के हस्ताक्षर नहीं व ना ही अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने उक्त सहमति विभाजन पत्र पर अपनी सहमति दी बिना सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णिय प्रसारित कर दिया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद बिंदु नहीं बनाए व ना ही पक्षकारों की साक्ष्य ली केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय ने ऊपर–ऊपर ही दावा निर्णित कर दिया जिसका अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं था। रामचंद्र बरदा का पुत्र है किन्तु रामचंद्र का स्वर्गवास 30–40 साल पूर्व हो चुका रामचंद्र कुंवारा फौत हुआ। जब रामचंद्र कुंवारा फौत हुआ तो उसके पुत्री व पत्नी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेज व साक्ष्य के रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 को रामचंद्र की पुत्री व पत्नी मानने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने विवादित सम्पत्ति पर अपना हक बताया तब ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय को तनकी कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेनी थी जो अधीनस्थ न्यायालय ने लिए बिना रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 को रामचंद्र की पुत्री व पत्नी मानकर निर्णय पारित किया। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने रामचंद्र की पुत्री व पत्नी होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जबकि अपीलार्थी ने रामचंद्र का मृत्यु प्रमाण पत्र विधान सभा चुनाव की निर्वाचन पत्रावली आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर गौर नहीं कर भारी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 अपने दादा बरदा के यहां निवास करते जिनका नाम राशन कार्ड में होता, निर्वाचन कार्ड में होता परंतु उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ने उगानखेड़ा में निवास करने बाबत भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 ग्राम कानपुरा, तहसील मसूदा में निवास करना बताया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादीगण की वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम उगानखेड़ा तहसील केकड़ी की जमाबंदी 2066 से 2068 के खाता संख्या 110, 111 में दर्ज है

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जो बरदा पुत्र उदा की खातेदारी में दर्ज है। बरदा के फौत होने से इसके वारिस प्रतिवादीगण व वादीगण 1–2 है। जिसमें प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने जमाबंदी संख्या 2066 से 68 के खाता संख्या 110, 111 ग्राम उगानखेड़ा की पेश हुई है। प्रतिवादीगण ने खसरा गिरदावरी संख्या 2066 से 2069 पेश की है। जिसमें भी बरदा के नाम गिरदावरी अंकित है। प्रतिवादीगण ने बरदा का मृत्यु प्रमाण–पत्र व राशन कार्ड पेश किया है। प्रतिवादीगण ने रामचंद्र पुत्र बरदा का मृत्यु प्रमाण पत्र व विधानसभा निर्वाचन नामावली की फोटो प्रति पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 बरजी एवं अपीलांट के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर बरदा की आराजियात में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होने का कथन कर वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि हम बरदा पुत्र उदा के पुत्र रामचन्द की पुत्री व पत्नी है । इस कारण उक्त आराजियात में हमारा 1/6 हिस्सा है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को वाद में प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करने के आदेश दिये । तत्पश्चात् प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक सहमति विभाजन पत्र प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त सहमति विभाजन पत्र के आधार पर दिनांक 15.03.2016 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक को विवादित आराजियात में 1/6, 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्राथमिक डिक्री पारित की । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सहमति पत्र पर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4, प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 बरजी एवं अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है । ऐसी स्थिति में उक्त सहमति पत्र पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं होने से उक्त सहमति पत्र के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 5 व 6 ने खातेदार रामचन्द की पत्नि व पुत्री होने के आधार पर वाद में पक्षकार संयोजित किए गये है जबकि इसके विपरीत अपीलांट का कथन है कि रामचन्द कुआंरा था तथा उसका स्वर्गवास 30–40 वर्ष पूर्व हो चुका है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार रामचन्द की पत्नि/पुत्री है अथवा नहीं इन समस्त तथ्यों का निस्तारण वाद पत्र एवं जवाबदावे के आधार पर विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर वाद साक्ष्य ही किया जा सकता था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 5 व 6 द्वारा प्रस्तुंत सहमति–पत्र के आधार पर वाद को डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् निर्णय नहीं माना जा सकता है ।

7. परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य

एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 06.01.2023 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर